

11-10-2026 (हिन्दुस्तान)

Page-No-13



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय:-वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष,
फौरैस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग प0 चम्पारण, बेतिया-845438, बिहार

सूचना संख्या- 01/2026-27

Expression of Interest for Registration of Vehicles

for Jungle Safari in Valmiki Tiger Reserve West Champaran, Bihar.

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अंतर्गत पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए निजी वाहन मालिक/होटल, होम-स्टे संचालक/जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निबंधित परिवहन एजेंसीज से अपने वाहनों का वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय से निबंधन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पर्यटन सत्र प्रारम्भ होने तक समाप्त की जायेगी।

संबंधित शर्तें निम्नवत हैं :-

1. वाहन का बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निबंधन, वाहन का इन्श्योरेंस फिटनेस प्रमाण-पत्र, अद्यतन रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण बिहार मोटरयान अधिनियम/नियमावली के अन्य प्रावधानों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. वाहन का वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में पंजीयन हेतु वाहन से संबंधित सभी वैधानिक कागजातों की फोटो कॉपी को स्व-अभिप्रेमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करनी होगी।
3. यह निबंधन पर्यटन सत्र अक्टूबर/नवम्बर, 2026-27 से प्रारम्भ होने वाले पर्यटन सत्र के लिए होगा जो माह जून, 2027 में स्वतः समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में पर्यटन संचालन संबंधी सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में पर्यटन निषिद्ध किये जाने की स्थिति में वाहन का संचालन तदनुसार स्थगित भी किया जा सकता है।
4. वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में कार्य अवधि के समय सम्पर्क स्थापित कर EOI के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष संख्या- 06254-245331 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. निजी होटल एवं होम-स्टे स्वामी जंगल सफारी के लिए वाहनों को विभागीय सफारी वाहनों के रूप में तैयार कर निबंधित करायेगें।

विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के वेबसाइट www.valmikitigerreserve.com पर भी उपलब्ध है।

वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन,
प0 चम्पारण, बेतिया

PR- 013357 (Envir. & Forest) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

Expression Of Interest

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अंतर्गत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु निजी वाहन मालिक/निबंधित परिवहन एजेन्सी/होटल, स्टे-होम संचालकों से पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए विभागीय जंगल सफारी वाहनों जैसा तैयार कर अपने जिप्सी, टाटा जिन्नॉन, टाटा योद्धा, पिकअप, थार, बोलेरों, स्कॉर्पियों या अन्य एल.एम.भी. वाहन के निबंधन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

संबंधित शर्तें निम्नवत है :-

1. वाहन का बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निबंधन।
2. वाहन का परिचालन अवधि के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।
3. वनपथ पर परिचालन के दौरान छोटे नालों से पार करने अथवा छोटी पहाड़ियों पर चढ़ाई के लिए 4x4 Wheel Drive वाहन उपयुक्त होगा। सिटिंग अरेंजमेंट सामने की ओर, सफारी वाहन की भाँती को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. वाहन पर वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष का Logo तथा निबंधन संख्या को लगाना/चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. सामान्यतः टूरिज्म सत्र माह अक्टूबर/नवम्बर, 2026 से जून, 2027 तक होगा। लेकिन वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रशासन द्वारा सीजन के बीच में भी परिस्थितिवश परिचालन बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. वाहन का वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा वाहन से संबंधित सभी वैधानिक कागजातों की फोटो कॉपी को स्व-अभिप्रमाणित कर कार्यालय में आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करानी होगी।
7. निबंधन के समय 5,000/-रु. जमानत राशि **Executive Director Valmiki Vyagrah Araksh Foundation** के पक्ष में बेतिया में भुगतये राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/या पोस्टल आर्डर के रूप में जमा किया जायेगा। जमा राशि को पर्यटन सत्र की समाप्ति पर लौटा दिया जायेगा।
8. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के किसी भी Entry Point वाल्मीकिनगर, गोबर्धना या मँगुराहां से जंगल सफारी हेतु वाहन का आवंटन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का निर्णय अंतिम होगा। वाहन स्वामी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं।

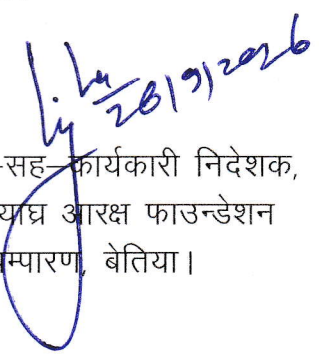
9. वाहन का परिचालन वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष द्वारा निर्धारित प्रवेश द्वार एवं टूरिस्ट रूट पर ही होगा। परिचालन रूट में पड़ने वाले विभागीय नाका पर संबंधित वाहन को इंट्री दर्ज करनी होगी।
10. जंगल सफारी का परिचालन वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक द्वारा (6:00 बजे पूर्वाह्न) सूर्योदय से सूर्यास्त (6:00 बजे अपराह्न) के बीच निर्धारित समय सीमा (अधिकतम दो घंटा) तथा ईको-टूरिज्म संबंधी नियमों के अनुसार होगा। उन नियमों का पालन करने संबंधी शपथ-पत्र वाहन मालिक तथा वाहन चालक द्वारा समर्पित करना होगा।
11. वर्णित शर्तों को उल्लंघन करने की स्थिति में जमानत राशि को जप्त कर लिया जायेगा तथा वाहन स्वामी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
12. जंगल सफारी के समय प्रत्येक वाहन पर एक नेचर गाइड का रहना अनिवार्य होगा जिसका पारिश्रमिक सफारी शुल्क में सम्मिलित रहेगा। नेचर गाइड, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष की सूची से लिये जायेंगे।
13. शुल्क निर्धारण वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष द्वारा किया जायेगा। सूची के अनुरूप सम्बन्धित वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा भुगतान निर्धारित दर के अनुरूप वाहन मालिक, सफारी एवं नेचर गाइड को किया जायेगा।

प्रति जंगल सफारी निजी वाहन जिप्सी द्वारा सफारी का शुल्क (अधिकतम शुल्क छः पर्यटकों) व टाटा जिन्नॉन, टाटा योद्धा एवं पिकअप (अधिकतम शुल्क नौ पर्यटकों) के लिए

आरक्ष द्वारा संचालित जंगल सफारी 06 पर्यटकों के लिए।	आरक्ष द्वारा संचालित निजी वाहन टाटा जिन्नॉन, टाटा योद्धा एवं पिकअप से सफारी करने पर 06 पर्यटकों के लिए 2400/- प्रति ट्रिप व 06 पर्यटकों से अधिक होने पर 400/-प्रति पर्यटक प्रति ट्रिप तथा 09 पर्यटकोंx400=3600/- सभी कर सहित	निजी वाहन/होटल/स्टे होम संचालक का निबंधित वाहन	
फाउण्डेशन, पार्क प्रवेश शुल्क, नेचर गाईड, इत्यादि शुल्क	1100/-	1800/-	800/-
वाहन मालिक (चालक का मानदेय, ईंधन, वाहन मरम्मती एवं अन्य सहित	1300/-	वाहन स्वामी को 06 पर्यटक होने पर 1300/- व 06 से अधिक पर्यटक होने पर प्रति पर्यटक 200/- प्रति ट्रिप के दर से भुगतये होगा। 9x200=1800	-
कुल राशि :-	2400.00	3600.00	800.00

उपरोक्त दर में संशोधन कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउण्डेशन/न्यास द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

14. प्रत्येक वाहन में एक पंजी संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक ट्रिप की विवरणी प्रवेश द्वार, टूरिस्ट रूट, पर्यटकों की संख्या एवं समय लिखी होगी तथा साथ गये वाहन चालक व सफारी/नेचर गाईड का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
15. परिचालन सम्बन्धी किसी भी Violation के लिए जिम्मेवारी वाहन चालक के साथ-साथ वाहन मालिक की भी होगी।
16. वाहन का रख रखाव, परिचालन खर्च इत्यादि का वहन मालिक को स्वयं करना होगा।
17. व्याघ्र आरक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वाहन सफारी का निर्धारित शुल्क विभागीय काउन्टर पर जमा करना होगा। प्रवेश द्वार/नाका पर रसीद दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
18. निबंधित सभी सफारी वाहनो का रोटेशन पर जाने की व्यवस्था/प्रणाली लागू की जायेगी।
19. वाहन चालक का पहचान पत्र बनवाना होगा जिसके लिए विहित प्रपत्र एवं चेक लिस्ट के साथ ड्राइविंग लाईसेंस एवं आधार कार्ड की छाया प्रति अलग से सेवा शुरू करने के पूर्व संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय में देनी होगी।
20. EOI से संबंधी विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के Web site:- **www.valmikitigerreserve.com** पर भी उपलब्ध है।
21. दूरभाष संख्या-06254-245331 पर भी EOI से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में कोई भी वाद व्यवहार न्यायालय, बेतिया के प्राधिकार में ही दायर किया जा सकेगा।


वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन
प०चम्पारण, बेतिया।

कार्यालय:-वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष,
फौरिस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग प0 चम्पारण, बेतिया-845438, बिहार।

Expression Of Interest

1. वाहन स्वामी/एजेन्सी/होटल, होम स्टे स्वामी का नाम एवं पता —
2. सम्पर्क मोबाईल संख्या एवं ईमेल पता —
3. वाहन का मॉडल —
4. वाहन का निर्माण वर्ष —
5. जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से
प्राप्त व्यवसायिक वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र —
6. वाहन का Insurance प्रमाण —
7. बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन संबंधी
प्रमाणक तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र —
8. वाहन का प्रदूषण नियंत्रण अनापति प्रमाणक —
9. वाहन का अद्यतन रोड़ टैक्स भुगतान प्रमाणक —
10. वाहन चालक का विवरण, आधारकार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेन्स
की अभिप्रमाणित प्रति —
11. रास्ते में वाहन में खराबी आने पर उसके बदले दूसरा विभागीय
वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन
संबंधी सहमति। —

- नोट:-** 1. EOI प्रपत्र के साथ सभी प्रमाणक की स्व-अभिप्रमाणित छाया
प्रति संलग्न करें।
2. EOI खोलने के समय सभी प्रमाणकों की मूल प्रति उपस्थित
करना होगा।

स्थान

समय

दिनांक

वाहन स्वामी/एजेन्सी का पूर्ण हस्ताक्षर